

12/05.01.2016

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री हेमन्त मुंगी आयुक्त
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 05.01.2016
को प्रस्तुत। ✓

141

1

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

द्वि.अ.प्र. क्रमांक / 2016
प्रस्तुति दिनांक 05/01/2016

श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष

क्रि. सं. 367-PBR-16

म.प्र. शासन द्वारा नजूल अधिकारी-
श्री राजेश सोनी पिता स्व. श्री रामअवतार सोनी
आयु 43 वर्ष, वृत्ति शासकीय सेवक / नजूल अधिकारी
ठिकाना - जिलाधीश कार्यालय मोती तबेला इंदौरअपीलार्थी

विरुद्ध

अध्यक्ष स्वर्गीय संजय सक्सेना
स्मृति बौद्धिक विकास समिति इंदौर
तर्फ अध्यक्ष श्रीमती शकुन्तला पति स्व. एम.डी. सक्सेना
ठिकाना अहिल्या लायब्रेरी कम्पाउण्ड एम.जी. रोड इंदौर ..प्रत्यर्थीयर्थी

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र. भू राजस्व संहिता

उपरोक्त प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से निवेदन है कि:-

न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के अपील प्रकरण
क्रमांक 102/10-11/अपील में पारित आदेश दिनांक 04.03.13
(स्व. संजय सक्सेना स्मृति बौद्धिक विकास समिति विरुद्ध म.प्र.
शासन द्वारा कलेक्टर) इंदौर में पारित आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी
होकर यह द्वितीय अपील अतिरिक्त आधारों पर माननीय न्यायालय
के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 367-PBR/16 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-2-2018	<p>अपीलार्थी के जोर से श्री हेमन्त मूंगी शासकीय आद्यवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी के जोर से श्री योगेश वर्मा, आद्यवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी आद्यवक्ता द्वारा अपील प्रकरण को वापिस लिये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण अपीलार्थी द्वारा आगे नहीं चलाये जाने के कारण समाप्त किया जाता है।</p>	<p>अध्यक्ष</p>